भूमिका

भारत के मध्य भाग और ईशान्य प्रदेशों में अधिकतर जनजातियों का निवास स्थान है। भारत में लगभग 702 जनजातियाँ निवास करती हैं। जिसमें परधान जनजाति भी शामिल है। भारत के प्रमुख जनजातियों में परधान जनजाति भी एक मुख्य जनजाति है। परधान समुदाय गोंड जनजाति के अंतर्गत आने वाली एक उप जनजाति है। यह समुदाय भारत के मध्य भाग में पाए जाते हैं। सामान्यत: परधान के लोग समुदाय गोंड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। परधान समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से अधिक नहीं है, फिर भी उनकी बोली, भाषा, संस्कृति परंपरा की पहचान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समुदाय है। इस समुदाय की अपनी एक अलग पहचान हैं।

वैश्वीकरण के चपेट में परधान समुदाय अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जिससे इस समाज की संस्कृति नष्ट होने की कगार पर है। ॲड मड़ावी जी ने गोंड और उसके उप जनजाति की भाषा लिपि और सांस्कृतिक मूल्य को लिपि बद्ध करने की कोशिश की है। अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि स्थान पर आदिम जनजातियाँ पायी जाती है, "कवयित्री उषाकिरण आत्राम कहती हैं कि" आज का भारत यह आदिवासी का प्राचिन शंबुद्वीप है। शंबुद्वीप में हजारों साल से निवास करनेवाले इस भूमि के मूलनिवास, मूल उत्तराधिकारी, मूल के स्वामी अर्थात मूलनिवासी हैं। "

परधान जनजाति की भाषा बोलने वाले मुख्यत: भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाएँ जाते हैं। परधान जनजातियों में गोंडी बोली बोलने वालो की संख्या वर्धा जिले में लगभग 17 हजार और नागपुर में लगभग 20 हजार के आसपास है जो मुख्यत: परधान जनजातीय के हैं। परधान जनजाति के लोग अभी भी यह एक भाषा बोलते हैं।

गोंड जनजाति में लगभग 50 से अधिक सहयोगी जनजाति हैं, उसमें से एक परधान या प्रधान, और पढारी यह जनजाति को मुख्यत: रेखांकित करना है। यह जनजाति मूल निवासी (Primitive Tribes) होकर गोंड जनजाति के अंतर्गत आती है। प्रधान/ परधान जनजाति को पठारी नाम से भी जाना जाता है। परधान जनजाति में पठारी एक उप जनजाति है। यह जनजाति पठार पर निवास करने के कारन इन्हें पठारी नाम से भी जाना जाता है। पठारी जनजाति भी गोंड जनजाति के उप जनजाति है, पठारी गोंड

जनजाति का छोटा भाई माना जाता है। गोंड जनजाति और परधान जनजाति सांस्कृतिक दृष्टि से समान है। गोंड और परधान जनजाति के देवी-देवता एक समान है। इससे यह साबित होता है, कि दोनों जनजातियाँ एक ही है सामान्यत: इनमें कोई अंतर नहीं है।

बालाघाट जिले में पठारी या परधान को परगनिया, देसाई या मौवाशी आदि नाम से भी जाना जाता है। मंडला (छत्तीसगढ़) जिले में पठारी नाम से जाना जाता है। जैसे परधान, प्रधान, नेगी, राजनेगी, मुलाशी, देवपुजारी, दसौधी आदि को जाना जाता है। जब गोंड राजे थे, तब पठारी उनके यहां प्रधान का काम करते थे। प्रधान का मतलब मंत्री पठारी या परधान या प्रधान इनका काम राजस्व की वसूली करने का था। पठारी जनजाति के इस काम के साथ गोंड की कीर्ति गाने में भी था। कहा जा सकता है कि प्रधान या परधान जनजाति गोंड जनजाति की एक उप जनजाति है। उपर्युक्त उल्लेखित परधान जनजाति को भी अलग-अलग प्रदेशों में अनेक नामों से जाना जाता हैं, ये सभी जनजाति गोंड जनजाति की उप जनजाति के अंतर्गत आती हैं। इनकी अपनी एक संस्कृति है। इनकी जीवन शैली, इनका परिवेश, इनके आदर्श, हिंदुओं की तुलना में भिन्न-भिन्न है। किसी समाज की संस्कृति को जानने के लिए अनुवाद सेतु का काम करता है। अनुवाद के माध्यम से जनजातियाँ समुदाय की संस्कृति को अन्य भाषा भाषी क्षेत्र में ले जाने में सहायता करता हैं। परधान जनजाति विभिन्न पर्व-त्यौहार मनाते हैं और इस तरह पर्व-त्यौहार मनाते हुए लोकगीत गाए जाते है। प्रत्येक समुदाय में पर्व-त्यौहार के अनुसार गीत गाए जाते है। जैसे की होली, विवाह, दीपावली, राखी आदि त्यौहारों पर गीत गाए जाते हैं। इन गीतों को दूसरी भाषा में ले जाने का काम अनुवाद के माध्यम से किया जा सकता हैं।

आदिवासी अज्ञानी और निरक्षर होने के कारण प्रधान शब्द का उच्चारण 'परधान' शब्द रूप में करते हैं। परिणाम यह हुआ कि सरकार काग़जपत्री में प्रधान शब्द को न अपनाते हुए 'परधान' शब्द को स्थापित किया है, और आगे भी उसी तरह प्रचलित हो गया है। अस्तित्व में न होने वाली नयी जनजाति 'परधान' यह केवल उच्चार से ही अस्तित्व में आयी और वह समाज में रूढ़ हो गयी, 'प्रधान' इस शब्द का उच्चारण जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ न ही वैसा लिखा गया, प्रधान इस शब्द का अपभ्रंश होकर 'परधान' शब्द को स्थापित कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य में कुल सैतालीस जनजातियाँ निवास करती हैं। उसमें से 'थोटी' और 'चौधरा' जनजातियों को छोड़ दिया गया है। राज्य में अनुसूचित

जनजातियों की सूची में 18 वी क्रमांक पर गोंड और 37 वी क्रमांक पर 'परधान' जनजाति का रिकॉर्ड/ दस्तावेज है। परधान यह गोंड जनजाति की उप जनजाति होने के बावजूद भी अनुसूचित जनजातियों की 18 वी सूची में पंजीकृत नहीं की है, इसलिए इन कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है। कुछ इसी प्रकार 'थोटी' समुदाय के मामले में भी हुआ है, इस समुदाय को महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में स्वतंत्र रूप से 45 वे स्थान पर पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार परधान जनजाति को महाराष्ट्र सरकार ने इस जनजाति को गोंड समुदाय में शामिल न करते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप में रखा हैं। प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध 'परधान जनजाति की बोली के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद : समस्या और समाधान' (वर्धा और नागपुर जिले के विशेष संदर्भ में) महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत वर्धा और नागपुर जिले में आवासित परधान जनजाति के लोकगीतों का अनुवाद एवं समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

प्रथम अध्याय के अंतर्गत वर्धा और नागपुर जिले में पाई जानेवाली परधान जनजाति और परधान बोली का परिचय देते हुए, परधान जनजाति के भौगोलिक और भाषा स्वरुप का विवरण किया गया है। परधान बोली से हिंदी भाषा का अंतरसंबध किस प्रकार हैं। तथा इसके अलावा परधान जनजातियों की बोली और उसका अनुवाद आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय अध्याय में वर्धा और नागपुर जिले की परधान जनजाति के लोकगीतों का परिचय देते हुए परधान जनजाति की संस्कृति, रीति-रिवाज, विवाह गीतों का परिचय, पंरपराएँ आदि चर्चा की गई है। इस अध्याय में इनके त्यौंहारों के बारे में बताया गया है। इनके त्यौंहारों में होली का त्यौंहार सबसे महत्वपूर्ण त्यौंहार है इन त्यौंहारों में लोकगीत गाए जाते हैं।

तृतीय अध्याय में परधान परधान जनजाति के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद एवं विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय में परधान जनजाति के लोकगीतों की चर्चा करते समय कौन-कौन सी समस्याएँ आई इसकी भी चर्चा की गई है, जैसे ध्वनी के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, वाक्य के स्तर पर और अर्थ के स्तर पर इनकी समस्याओं को बताया गया है। लोकगीतों का अनुवाद करते समय संप्रेषण संबधी समस्याओं को बताया गया है, और भाषा संबंधी समस्याओं को भी बताया गया है।

इस लघु शोध कार्य से परधान जनजाति के लोकगीत, परधान भाषा तक सीमित न रहकर अन्य समाज तथा देश-विदेश में परधान जनजाति के लोकगीतों का प्रसार होगा। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत वर्धा और नागपुर जिले के परधान जनजाति के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद सभी लोगों को परधान जनजाति की संस्कृति और सभ्यता से परिचित करवाने में सहायक होगा।

शोध की केंद्रीय समस्या एवं उद्देश्य :-

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध का शीर्षक **"परधान जनजाति की बोली के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद : समस्या और समाधान"** (वर्धा और नागपुर जिले के विशेष संदर्भ में) है। जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के वर्धा और नागपुर जिले में रहने वाली परधान जनजाति के लोकगीतों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना तथा इन गीतों में अंतर्निहित लक्षणों के आधार परधान जनजाति की संस्कृति, इतिहास और भाषाई विशेषता का वर्णन करना ही इस लघु शोध प्रबंध की मुख्य समस्या है।

इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य वर्धा और नागपु र जिले में पाई जाने वाली परधान जनजाति के लोकगीतों का संकलन करके उसका हिंदी अनुवाद कार्य किया जाएगा। अनुवाद के माध्यम से अनुवाद ज्ञानानुशासन को समृध्द किया जा सकेगा। इसके अलावा अनुवाद अनुशासन को समाजशास्त्र के क्षेत्र से जोड़कर परधान जनजाति के लोकगीतों से परिचित कराना तथा परधान भाषा को संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य है।

सामग्री का संकलन :-

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए सामग्री का संकलन मुख्यत: पुस्तकालयों से किया गया है। पुस्तकालयों से प्राप्त सामग्रियों के माध्यम से परधान जनजाति के इतिहास, संस्कृति, परंपराएँ और उसका भौगोलिक स्वरुप के विषय में जानकारी प्राप्त की हुई। परधान जनजाति के लोकगीतों का संकलन वर्धा और नागपुर जिले के विभिन्न गांवों में निवास करने वाले परधान जनजाति के लोगों से किया गया तथा उन लोगों की सहायता से ही शोधार्थी द्वारा इन लोकगीतों का हिंदी भाषा में अनुवाद कार्य किया गया।

साहित्य पुनरावलोकन :-

प्रस्तावित लघु शोध विषय से संबंधित शोध कार्य अनुवाद अनुशासन में अभी तक देखने में नहीं आया है। सामाजिक विज्ञान में रेखा जुगनाके द्वारा पी-एच.डी. उपाधि हेतु किया हुआ कार्य 'आदिवासी लोकसाहित्य और संस्कृति का अध्ययन' ने गोंडि जनजाति के लोकसाहित्य और संस्कृति पर प्रकाश डाला है। गोदावरी अजयसिंह ठाकुर द्वारा एम. फिल. उपाधि हेतु किया हुआ कार्य 'गोंडी जनजाति के श्रमगीतों का हिंदी अनुवाद और समाजशास्त्रीय विश्लेषण' समाज विज्ञान के क्षेत्र में गोंडी श्रमगीतों पर प्रकाश डाला है। लेकिन अनुवाद अनुशासन में परधान जनजाति की बोली के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद : समस्या और समाधान इस विषय पर किसी भी प्रकार की शोध या कार्य पर अभी तक देखने को नहीं मिला हैं। किंतु उल्लेखित सामग्री से इस शोध कार्य में शोधार्थी को सहायता प्रदान की है, इसके अतिरिक्त शोधार्थी का यह कार्य नवीन और मौलिक होगा। वही अनुवाद अनुशासन में शोधार्थी द्वारा किया गया यह प्रथम और मौलिक कार्य है।

शोध की सीमाएँ :-

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध का कार्य से ज्ञात होता हैं कि परधान जनजाति के लोकगीतों का हिंदी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया गया हैं। इन लोकगीतों में अंतर्निहित तथ्यों के आधार पर परधान जनजाति के लोकगीतों को हिंदी भाषाई लक्षणों को इंगित किया गया है। इनके लोकगीतों में पर्व-त्यौहारों, परिणय गीत, सुख-दुख के साथ-साथ, खान-पान आदि का समावेश पाया गया है, जो इनकी संस्कृति का प्रमुख अंग है। चूँकि इस शोध कार्य के अंतर्गत लोकगीतों का अनुवाद एवं विश्लेषण कार्य किया गया है। इसलिए यह शोध कार्य केवल परधान जनजाति की बोली के लोकगीतों का हिदी अनुवाद और इन लोकगीतों में अंतर्निहित मूल तथ्यों के समस्या समाधान तक सीमित है।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत लोकगीत के संकलन के लिए साक्षात्कार पध्दति का प्रयोग किया गया है तथा इसके अलावा व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, गुणात्मक तथा मात्रात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

संभावनाएँ तथा उपयोगिता :-

प्रस्तुत शोध कार्य परधान जनजाति की भाषाई संस्कृति के अध्ययन क्षेत्र में शोध के नवीन द्वार खोलेगा तथा परधान जनजाति के भाषा के विकास और उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ परधान बोली को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। परधान जनजाति के लोकगीतों का यह हिंदी अनुवाद कार्य परधान जनजाति के अलावा अन्य जनजाति समुदाय के लोकगीतों का समीक्षा और मूल्याकंन के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तुत लघु शोध विषय अनुवाद अनुशासन को अन्य ज्ञानानुशासन से जोड़ने के लिए संभावनाएँ प्रदान करेगा।

आभार :-

यह शोधकार्य शोधार्थी द्वारा सीमित संसाधनों की सहायता से संपन्न किया गया है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोधकार्य पूरी ईमानदारी और परिश्रम से किया है। शोध की मौलिकता का पूरा ध्यान रखा है। इन सबके बावजूद शोधार्थी की कार्य क्षमता और ज्ञान की एक सीमा है। अत: इसमें अनेक कमियों त्रुटियाँ रह गई होगी, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

शोधार्थी द्वारा किए गए इस शोध कार्य को पूर्ण करवाने में अनेक लोगों ने योगदान दिए हैं। जिनमें सबसे पहले मैं अनुवाद अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, मैं अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. देवराज और अनुवाद अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राम प्रकाश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ इसके अलावा मैं अपने विभाग के अन्य सभी शिक्षकों डॉ. हरप्रीत कौर मॅडम एवं अनुवाद अध्ययन विभाग के पीडीएफ डॉ. मिलिंद पाटिल और वरिष्ठ शोधार्थी पन्नालाल धुर्वे, प्रफुल मेश्राम, दिलीप गिरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य पूरा करने में सहयोग किया तथा मैं अपने सहपाठियों में अक्षय लोहट, दीपिका मंडवधरे, अनुज कुमार गौतम, और आशीष पांडे तथा उन समस्त मित्रों को आभार देना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जो मेरे शोधकार्य में सहायता की है।

मैं अपने माता-पिता और भाई-बहन के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिनकी अंत: प्रेरणा, आशीर्वाद और मनोबल से मैं अपना यह लघु शोध कार्य पूर्ण कर सका हूँ। इसके अलावा मैं विशेष तौर पर वर्धा और

नागपुर के विभिन्न गांवों में रहने वाले परधान समाज के लोगों के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे परधान जनजाति के लोकगीत उपलब्ध करवाएँ और उन गीतों को अनूदित करवाने में मेरी सहायता किए। जिसमें यह लघु शोध कार्य पूर्ण हो सका।

इस प्रकार शोध कार्य पूर्ण होने के बाद शोधार्थी द्वारा अपना यह लघु शोध कार्य पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के एम. फिल. उपाधि हेतु निर्धारित परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

शोधार्थी

विशाल सयाम

एम. फिल. अनुवाद अध्ययन

दिनांक : / / 2018 पंजीयन सं. 2016/04/219/013.